

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक ०४ जून, 2021

विषय-तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के प्राविधानों के दृष्टिगत नगर निगम सीमा क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्तावित उपविधि जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता हित में है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन उपविधियों को नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत लागू करने हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, निकाय बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-543 खण्ड-क के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को दिनांक-31.07.2021 तक अवगत कराने की भी अपेक्षा की गई है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य कर रहे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संगठन। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक ०४ जून, 2021

विषय-तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के प्राविधानों के दृष्टिगत नगर निगम सीमा क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्तावित उपविधि जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता हित में है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन उपविधियों को नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत लागू करने हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, निकाय बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-543 खण्ड-क के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को दिनांक-31.07.2021 तक अवगत कराने की भी अपेक्षा की गई है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,


(डॉ० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य कर रहे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संगठन। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

नगर निगम

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू विक्रेताओं के लिए तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि 2021 को बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, नगर आयुक्त, नगर निगम----- को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर, जो इस नोटिस के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे, विचार किया जायेगा।

नगर निगम----- तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि 2021

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

- (1) यह उपविधि नगर निगम----- (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि 2021 कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार नगर निगम ----- के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
- (3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यता :-

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- (3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, ----- से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।
- (4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए।
- (5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।
- (6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती हैं।

3. वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क :-

- (1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क ₹0 200.00, स्थाई दुकानों हेतु ₹0 1000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिए ₹0 5000.00 होगा।
- (2) एक वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए ₹0 5000.00, फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिए ₹0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थायी दुकानों हेतु ₹0 100.00 होगा।
- (3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4. तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन :- पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा:-

- (1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जाएगी।
- (2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अंतर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।
- (3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जाएगी।
- (4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

5. नियम एवं शर्तें :-

- (1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।
- (2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।
- (3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।
- (4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।
- (5) किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।
- (6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दे जाएगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम ----- द्वारा निलंबन कार्यवाही की जाएगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होंगी, जो गुमटी लगाते हैं। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रू0 2000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रू0 5000.00 व सामग्री जब्त, तीसरी बार रू0 5000.00, सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।
- (8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

6 पंजीकरण प्रक्रिया :-

- (1) नगर निगम ----- में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संबंध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।
- (2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम ----- के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।
- (3) प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- (4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएंगे।

(5) प्रमाणपत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में नगर निगम ----- द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8. नामित अधिकारी :- नगर निगम ----- में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञापित लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनुज्ञापित लाइसेन्स जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

9 वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि :- पंजीकरण प्रणाली नगर निगम ----- के माननीय सदन में अनुमोदित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

दिनांक:

नगर आयुक्त,

नगर निगम, -----